छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

(अग्रहायण 30, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री हीरासिंह मरकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री पूरन लाल जांगड़े, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री घनाराम साहू, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, मोहन मरकाम, केशव प्रसाद चंद्रा, श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, सदस्य श्री धनेन्द्र साहू एवं डॉ.रमन सिंह ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए ।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.41 बजे स्थगित की जाकर 11.51 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिगर्मन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा किसानों की उपेक्षा के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, एवं 2018-19 **पटल पर रखा** ।

6. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में से शेष बचे कुल 3 विधेयकों में से 2 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री शिवरतन शर्मा
05. श्री देवव्रत सिंह

8. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संसदीय सचिवों की वर्तमान में वस्तुस्थिति क्या है ? आसंदी ने जो व्यवस्था दी है उसका क्रियान्वयन क्या है ?

इस संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी विचार व्यक्त किये ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्म्द अकबर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

9. व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आपके द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने माननीय विधि मंत्री जी एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुना । मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं ।

10. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख किया ।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपके द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

11. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में किसानों से धान खरीदी में विलंब एवं रकबा कम किया जाना

माननीय सभापति ने प्रदेश में किसानों से धान खरीदी में विलंब एवं रकबा कम किये जाने संबंधी 16 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य हेतु सहमति व्यक्त की तथा तत्काल चर्चा प्रारंभ कराये जाने का आग्रह किया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय सभापति ने चर्चा हेतु श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य का नाम पुकारा ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण 1.01 बजे स्थगित की जाकर 1.17 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।

12. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री धर्मजीत सिंह ।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

निलंबित सदस्य गर्भगृह में बैठ गये ।

अपराह्न 1.29 बजे, विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार,दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 (पौष1, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा